

प्रेस- नोट थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर दिनांक 25.07.2022

दिनांक 02.06.2022 को थाना क्षेत्र बेलघाट में घटित हत्या की घटना में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर के कुशल निर्देशन में, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण दक्षिणी महोदय के मार्गदर्शन में व क्षेत्राधिकारी गोला के पर्यवेक्षण व थानाध्यक्ष गोरखपुर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 25/07/2022 को समय करीब 09.32 बजे मुखबीर खास की सूचना पर मु0अ0सं0 117/2022 धारा 302 भादवि के सम्बन्धित वांछित अभियुक्त इन्द्रजीत पुत्र चिनगी प्रसाद निवासी संठी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर हा0मु0 ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर को बहद ग्राम शंकरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को मा0 न्यायालय गोरखपुर के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 02.06.2022 की रात्रि में संदिग्ध परिस्थिति में मृतका कमली देवी पत्नी दुर्जन निवासिनी ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना बेलघाट गोरखपुर मृत्यु हो गई थी जिस सम्बन्ध में पोस्टमार्टम आदि कार्यवाही के बाद मृतका की पुत्री मालती देवी द्वारा दिनांक 07.06.2022 अपने पति इन्द्रजीत के विरुद्ध सम्पत्ति के लालच को लेकर माता की हत्या के सम्बन्ध में मुकदमा दर्ज कराया था। घटना के बाद से ही अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था जिसे आज दिनांक 25.07.2022 को ग्राम शंकरपुर तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त द्वारा बताया जा रहा है कि उसकी सास उसे गांव के लोगो से डांटवाती व पिटवाती थी जिससे उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता था इसी से क्षुब्ध होकर अपनी सास कमली का गला रस्सी कसकर हत्या कर फरार हो गया था।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

इन्द्रजीत पुत्र चिनगी प्रसाद निवासी संठी थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर हा0मु0 ग्राम बहादुरपुर बुजुर्ग थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर उम्र करीब 42।

गिरफ्तारी का स्थान व समय –

ग्राम शंकरपुर तिराहे के पास दिनांक 25.07.022 को समय 09.32 बजे।

बरामदगी-

एक अदद नायलान रस्सी काली व सफेद रंग की।

गिरफ्तारी में शामिल पुलिस टीम का विवरण-

- 1.थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
2. का0 विपिन यादव थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
3. का0 सर्वेन्द्र शुक्ला थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर
4. म0का0 कुमारी रौशनी थाना बेलघाट जनपद गोरखपुर